5643, 5670
10/10/13 18/10/13

अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत

सन्दर्भित वाद संख्या–206/2013–14

रामाधिकारी साहु बनाम भोला यादव वगैरह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	अभिलेख का अवलोकन किया। विदित होता है कि आवेदक रामाधिकारी साहु उर्फ राम अधिकारी साव, पिता– स्व0 नन्दीपति साहु उर्फ ननीपति साह, ग्राम– सनखेरहा, पोस्ट– पघारी, थाना वो अंचल– बहेड़ी, जिला– दरभंगा ने प्रस्तुत वाद पत्र दिनांक 10.06.2013 को अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल किया जिसपर सुनते हुए वाद प्रतिग्रहित किया गया। इस वाद में विपक्षी के रूप में (1) भोला यादव, (2) रामनन्दन यादव, दोनों पिता स्व0 लालू यादव, (3) राम कृपाल यादव, (4) हीरा यादव, (5) रामपुकार यादव, (6) अरूण यादव, (7) पच्चू यादव, पाँचो पिता– स्व0 नटाई यादव एवं (8) कल्पू यादव, पिता स्व0 नेवा लाल यादव सभी ग्राम– हथोड़ी टोले सिरहुलिया पोस्ट– कोठरा, थाना– हायाघाट, अंचल– बहेड़ी, जिला– दरभंगा के निवासी है। विवाद के अन्तर्गत इस वाद में मौजा– चकरायपुर, प्रगना– चकगनी, थाना नं0– 44 एवं तौजी नं0– 3266 हैं एवं जिसका पुराना खाता नं0 61 पु0/नया खाता 147 पुराना खेसरा नं0– 387 पु0 /नया खेसरा 604 रकवा 02 बिगहा 02 कट्ठा भूमि है, तथा पुराना खाता नं0 61 नया खाता 147, पुराना खेसरा नं0 387 नया खेसरा 604 रकवा 01 बिगहा 01 कट्ठा (विवादित भूमि) थाना– बहादुरपुर जिला– दरभंगा में अवस्थित भूमि हैः– आवेदक के वाद पत्र के आलोक में विपक्षीयों को अपना उचित पक्ष प्रस्तुत करने के लिए निबंधित सूचना निर्गत की गई, विपक्षीगण उपस्थित हुए तथा दिनांक 29.08.2013 को अपना लिखित बयान दाखिल किया। तदुपरान्त दिनांक 05.09.2013 को आवेदक ने वाद पत्र में संशोधन करने हेतु आवेदन दिया, जबकि वाद की बेधानिक अवधि समाप्ति के करीब थी। आवेदक के संशोधन आवेदन के खिलाफ विपक्षीयों द्वारा दिनांक 06.09.2013 को प्रतिउत्तर दाखिल किया गया जिसपर उभय पक्षों को सुनते हुए वाद की विधिवत सुनवाई पूर्ण की गई। सुनने के पश्चात् प्रथमतः इस वाद में	

09/10/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	आवेदक के संशोधन आवेदन के खिलाफ विपक्षीयों द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर को अवधि कल्ह दिनांक 10.09.2013 को समाप्त हो रही है एवं विपक्षी द्वारा पूर्व में लिखित बयान दाखिल किया जा चुका है तथा यदि वाद पत्र में संशोधन की मंजूरी दी जाती है तो विपक्षी को पुनः जबाब देने हेतु समयाभाव है तथा आवेदक के सुधार आवेदन को मान लेने पर वाद की प्रकृति भी बदल जाएगी। उक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदक के संशोधन आवेदन को खारिज किया जाता है। सुनने से स्पष्ट विदित होता है कि आवेदक ने अपने वाद पत्र में अनुतोष प्राप्त करने के निमित किसी धारा का उल्लेख नहीं किया है कि उन्हें BLDR Act की किस धारा के तहत अनुतोष प्रदान किया जायेगा। साथ हीं आवेदक ने प्रश्नगत भूमि मौजा– चकमनी थाना नं0–44 एवं तौजी नं0– 3266 अन्तर्गत खाता नं0 पुराना– 61 नया 147 खेसरा नं0 पुराना– 387 नया 604 की 01 कट्ठा 01 धुर भूमि का चौहद्दी दर्ज नहीं किया है तथा यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि विपक्षीयों ने उक्त 01 कट्ठा 01 धुर भूमि से उन्हें किस तिथि को जबरदस्ती बेदखल किया है। सुनने से स्पष्ट विदित होता है कि प्रश्नगत खाता खेसरा का कुल रकवा 02 बिगहा 02 कट्ठा है, जो बचनु साह की भूमि थी।बचनू साह को दो पुत्र एकहरी साव वो नन्दीपति साह हुए। दोनों के बीच दिनांक 21.09.1960 को निबंधित पार्टीशन हुआ जिसमें 01 बिगहा 01 कट्ठा करके दोनों भाई को हिस्सा हुआ। एकहरी साव ने अपने नीजी खर्च हेतु एक हजार रूपया वापस नहीं होने पर उन्होंने एकहरी साव एवं नन्दीपति साहु के विरूद्ध मनीसूट वाद सं0– 10/1961 मुंसिफ दरभंगा के न्यायालय में दायर किया जिसमें डिक्री के बाद मनी एक्सक्यूशन वाद सं0– 38/64 चला जिसमें दिनांक 20.01.1965 को मनीसूट वाद सं0– 10/1961 वाली जमीन का निलामी बिक्री हुआ। सुनने से यह भी विदित होता है कि उक्त मनीसूट एवं एक्सक्यूशन वाद के आदेश की जानकारी एकहरी साहु एवं नन्दीपति साहु को नहीं हुई और न न्यायालय से नोटिस हीं प्राप्त हुआ जिसके परिणाम स्वरूप रामखेलावन महासेठ के पक्ष में डिक्री हो गया एवं निलामी बिक्री भी हो गया, जब इसकी जानकारी नन्दपति साहु के पुत्र आवेदक को हुई तो	

09/10/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	एडिशनल सब जज, दरभंगा द्वारा दिनांक 27.05.1972 को खारिज कर दिया। उक्त खारीज आदेश के पूर्व एकहरी साहु ने प्रश्नगत खाता खेसरा की जमीन जो उनके हिस्से की थी को अपने दामाद नचारी साहु जो ग्राम– दाईग, बहादुरपुर के रहने वाले थे के नाम निलामी खरीदा। नचारी साहु, पिता– डोमू साहु ने उक्त निलामी खरीदगी वाली 01 बिगहा 01 कट्ठा भूमि दिनांक 21.05.1968 को विपक्षी सं0– 08 के पिता नेवालाल यादव पिता– बाबुजी यादव को बयनामा कर दिया जो विपक्षी सं0– 01 से 07 तक के बाबा थे जिसे आवेदक ने अपने आवेदन में भी स्वीकार किया है। इस प्रकार इस वाद में स्पष्टतया वर्ष 1968 के बयनामा को आवेदक ने स्वीकार किया है जिसके आलोक में विपक्षीयों का दखल–कब्जा चला आ रहा है जो भी स्वीकृत तथ्य है। इस वाद में यह भी स्वीकृत तथ्य है कि निलामी खरीददार नचारी साहु को कब्जा दिलाया गया था। परन्तु मिशलेनियश अपील वाद सं0– 59/1969 में पारित आदेश दिनांक 27.05.1972 के आलोक में मनीसूट वाद सं0– 10/1961 के डिक्री को खारीज कर दिया गया, लेकिन किसी भी न्यायालय द्वारा auction sale को अब तक खंडित नहीं किया गया है। इस प्रकार आवेदक को दावा सक्षम न्यायालय से संबंधित होना परिलक्षित होता है। उपरोक्त स्थिति में प्रस्तुत वाद अस्पष्ट एवं सक्षम न्यायालय से संबंधित होने के कारण आवेदक के आवेदन को खारीज किया जाता है। ''अभिलेख संचिकास्त करें।'' **लेखापित एव शुद्धित** 08/10/13 **भू0 सु0 उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।** 08/10/13 **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।**	